रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-183/2021/1812/22-2-2021-17(249)/2021

लखनऊ : दिनांक: 06 अक्टूबर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 के प्रस्तर-2(ख) यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 द्वारा निर्गत स्थायी नीति के प्रस्तर-1 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 02 अक्टूबर, 2021 (गॉधी जयन्ती) के अवसर पर जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामकुमार (बन्दी संख्या-1671/2004) पुत्र श्री जुगुलकिशोर, निवासी-ग्राम-कटिया, थाना-खीरी, जनपद-लखीमपुर खीरी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-196/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 सं0-5), लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 15.07.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, उक्त बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2021 तक 17 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 00 माह 12 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-183/2021/1812(1)/22-2-2021 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in